

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 73 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी के माह 12/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 03/11/2018 एवं 12/11/2018 से 14/11/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सुनील कुमार व पी के श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/12/2017 से 20/12/2017 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 2/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	-	-				-
2016-2017	-	-	74.25	47.05			27.19	-
2017-2018	-	-	109.81	107.29			25.17	
2018-2019 (माह 10/18 तक)			84.55	57.85				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है: (धनराशि रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
		शून्य			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

- (iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है।
- (iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।
- (v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:
 - (1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में:

- (2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)
- (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमाऊँ हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागढ़, मुख्य अभियंता

परियोजना गढ़वाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की, मुख्य अभियंता स्तर -2 हरिद्वार, मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल रुड़की, अधीक्षण अभियंता, हल्द्वानी।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 ब

प्रस्तर 1:- विविध अग्रिम की वसूली लंबित रहने का प्रकरण।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद में प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद में ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणों में अधिकारियों /कर्मचारियों /फर्मों/ठेकेदारों /अन्य विभागों के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदों में विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा में सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते में न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखों से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 25,89,865.00 (रु 24,11,812 सिचाई खंड नैनीताल एव रु 1,78,053 सिचाई खंड रामनगर) लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि -पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। जो कि कार्यालय में कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है। अतः रु 25,89,865.00 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
57/2017-18		-	1	1,2
योग			1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्यु क्ति
			अप्रस्तुत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(1)श्री	एन एस पतियाल	अधीक्षण अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

(शून्य)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2